R - 802 - III/2000

CF-R515/02

R.L. 3633
17-5-2000

01-श्रीनिवास ।
02-रामनिवास । - पितरान बैजनाथ पाण्डेय
03-मुसा० जैरजुआ बेवा पत्नी रामाधार पाण्डेय
04-राजेन्द्र प्रसाद । - पितरान रामाधार
05-सुनील कुमार ।

सभी निवासीगण ग्राम खड्डा, तहसील-सिरमौर, जिला रीवा, म०प्र०।

---- आवेदकगण।

17 MAY 2000

बनाम

मुसा० प्रेमवती बेवा पत्नी रमेश कुमार ब्रा० निवासी ग्राम खड्डा, तहसील-सिरमौर, जिला रीवा, म०प्र०।

--- अनावेदिका।

12 MAY 2000

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 3.3.2000 जो प्रकरण क्र० 292/अपील/95-96 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 ~~म०प्र०~~ भू० राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

।01। यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

निरंतर......

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 802–तीन/2000 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
25–5.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 292/अपील/95–96 में पारित आदेश दिनांक 3.3.2000 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर उप तहसील सेमरिया के नामांतरण पंजी कमांक 35 में पारित आदेश दिनांक 26.4.84 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा अवधि वाह्य मानते हुये अपील निरस्त की। इससे परिवेदित होकर आवेदक ने यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 3.3.2000 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित मानते हुये अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3- आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक कमांक-1 के पिता बैजनाथ प्रसाद के जीवन काल में ही अनावेदिका के हक में नामांतरण हुआ था जिन्होंने उसके विरुद्ध कोई अपील तथा निगरानी प्रस्तुत नहीं की। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में आगे बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नहीं किया है कि अनावेदक के हक में कथित नामांतरण सहमति के आधार पर किया गया है, जबकि सहमति स्वत्व के अर्जन का अधिकार नहीं है और न सहमति के आधार पर नामांतरण हो ही सकता था तो बैजनाथ प्रसाद ने या उनके पुत्रों ने कभी कोई भी सहमति नहीं दी । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4- अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक को आदेश की जानकारी थी लेकिन उनके द्वारा अपने प्रकरण में सजग नहीं रहे हैं। और अपील इतने वर्षो बाद प्रस्तुत करने का कोई ठोस आधार नहीं बताया है तथा अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया।

राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.4.84 को आदेश पारित किया है और जिसकी अपील 9 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने के कारण उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य